उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
घोड़ाखाल रोड, भवाली,
जिला– नैनीताल, पिन– 263132

निविदा सूचना

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के भवाली स्थित परिसर में दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यो हेतु पृथक–पृथक निविदाऐं दिनांक 28.01.2013 तक आमंत्रित की जाती है निविदाएं दिनांक 31.01.2013 को अपरान्ह् 03.00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में अकादमी की समिति सदस्यों के समक्ष खोली जायेंगी।

(क) मेस संचालन।
(ख) साफ–सफाई –सह– हाऊस कीपिंग एवं बागवानी कार्य।

निविदा लिफाफे के ऊपर **'मेस संचालन'** अथवा **'साफ–सफाई एवं बागवानी का कार्य'** लिखा जाना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र दिनांक 15.01.2013 से दिनांक 28.01.2013 तक अकादमी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में ₹ 500/–(वैट सहित) नकद भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं। मेस संचालन हेतु निविदा के साथ ₹ 50,000.00 (पचास हजार) मात्र तथा साफ–सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु ₹20,000/–(बीस हजार) मात्र की धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला–नैनीताल के पक्ष में बन्धक हो लगायी जानी अनिवार्य है। अपूर्ण निविदा पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा के साथ संलग्न शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाय। निविदा का विवरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल की वेवसाइट www.ujala.uk.gov.in पर किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक (लेखा)

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, नैनीताल।

<u>साफ–सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु निविदा प्रपत्र</u>

प्रपत्र का वैट सहित मूल्य ₹ 500 प्रति

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु प्रपत्र संख्या....... कार्यालय की मुहर

1. फर्म का नाम..
2. फर्म के स्वामी का नामः..
3. फर्म का स्थानीय पता..
   (दूरभाष संख्या सहित)..
4. फर्म का स्थाई पता..

5. व्यापार कर..
   पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण–पत्र..
6. सेवा कर का प्रमाण–पत्र...
   यदि आवश्यक हो तो
7. धरोहर धनराशि का विवरण
   (अ) राष्ट्रीकृत बैंक का नाम...
   (ब) एफ0डी0आर0 संख्या...
   (स) धनराशि...

8. साफ–सफाई कार्य हेतु श्रमिकों के पारिश्रमिक की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह अंकित की जाय
   ....

9. बागवानी कार्य हेतु दक्ष मालीयों तथा श्रमिकों के पारिश्रमिक की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह पृथक–पृथक अंकित की जाय.. ....

8. अन्य प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हैं...

संलग्न– 1– नियम एवं शर्ते

निविदादाता फर्म की मुहर एवं हस्ताक्षर

साफ–सफाई (हाऊस कीपिंग) एवं बागवानी कार्य हेतु नियम एवं शर्ते

प्रतिबन्ध–

निविदा में दी गई शर्तो के अनुसार उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी तथा चिन्हित निविदादाता फर्म के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा। निविदा अनुबन्ध में निर्धारित शर्तो का अनुपालन न होने की दशा में अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा और धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में रखे जाने हेतु संस्तुति की जायेगी।

शर्तेः–

1. निविदादाता/फर्म का अपना पेन (PAN) व आयकर प्रमाण–पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाए।
2. निविदादाता/फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण होना चाहिए।
3. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी (निविदा प्रतिभूति) के रूप में ₹ 20,000/–(बीस हजार) मात्र किसी राष्ट्रीकृत बैंक का एफ0डी0आर0 निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के नाम बंधक हो संलग्न किया जाए। धरोहर धनराशि की वैधता निविदा के वैध अवधि के पश्चात कम से कम 45 दिन तक की होगी।
4. सफाई कार्य सह हाऊस कीपिंग कार्य हेतु न्यूनतम 06 व्यक्तियों तथा बागवानी कार्य हेतु न्यूनतम 04 व्यक्तियों (जिसमें कम से कम दो दक्ष माली हों) की आवश्यकता है। कार्य के दृष्टिगत कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
5. निविदादाता फर्म श्रम कानूनों से आवृत्त होगी।
6. निविदादाता फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व अकादमी परिसर एवं भवनों का भली–भॉति निरीक्षण कर लिया जाय।
7. निविदादाता फर्म का दायित्व होगा कि श्रम विभाग के शासनादेश के अनुरूप अनुमन्य सुविधाओं को दिये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र/घोषणा पत्र ₹ 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता फर्म को श्रमिकों के नाम व पते पहचान हेतु अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
9. जिस फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे श्रमिकों का पुलिस सत्यापन अथवा दो सम्भ्रांत व्यक्तियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगें।
10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अकादमी द्वारा गठित समिति का होगा।
11. नियोजित श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
12. फर्म द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी तथा यह भी सुनिश्चित कर लें श्रमिक शारीरिक एवं मांनसिक रूप से स्वस्थ हों।
13. फर्म की बाध्यता होगी कि वह अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफता श्रमिक को कार्य पर नहीं लगायेगा।
14. अकादमी सम्पत्ति को नुकसान पहुचॉए जाने की स्थिति में उसका भुगतान फर्म को करना होगा।
15. फर्म द्वारा नियोजित किय गए श्रमिकों के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानों का पालन करना फर्म का दायित्व होगा। सम्बन्धित कानून की जानकारी न होना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य कारण नहीं माना जायेगा।
16. अकादमी परिसर में एकत्रित कुड़े/मलवे का निस्तारण नियत स्थान पर निविदादाता फर्म को स्वयं करना होगा।
17. श्रमिक/श्रमिकों की कार्य से अनुपस्थिति रहने की दशा में उनके स्थान पर किसी अन्य को फर्म द्वारा नियोजित किया जाएगा। फर्म द्वारा ऐसा न करने पर श्रमिक/श्रमिकों का उस अनुपात में पारिश्रमिक काट लिया जायेगा तथा फर्म पर शास्ति स्वरूप उस माह के बीजक (बिल) से 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकेगी।
18. निविदादाता फर्म को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि प्रशासनिक भवन एवं क्लास रूमों की सफाई प्रातः 9:15 बजे तक हो जाए।मैस एवं हास्टल की सफाई के लिए हर समय तत्पर तैयार रहना होगा।
19. सफल निविदादाता (साफ–सफाई एवं बागवानी कार्य) से कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में ₹ 25,000/–(पच्चीस हजार) मात्र का एफ0डी0आर0 जो कि निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में बना हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्मित हो बंधक रखी जायेगी। धरोहर धनराशि की वैधता निविदा के वैध अवधि के पश्चात कम से कम 60 दिन तक की होगी। कार्यपूर्ति प्रतिभूति जमा हाने के उपरांत निविदा प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। निविदा की स्वीकृत दरें सामान्यतः वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए प्रभावी होंगी।

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, नैनीताल।

मेस संचालन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

प्रपत्र का वैट सहित मूल्य ₹ 500 प्रति

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु
प्रपत्र संख्या........
कार्यालय की मुहर

1. फर्म का नाम...
2. फर्म के स्वामी का नामः...
3. फर्म का स्थानीय पता...
(दूरभाष संख्या सहित)..
4. स्थानीय प्रतिनिधि का नाम..
(दूरभाष संख्या सहित)..
5. फर्म का स्थाई पता..
6. आयकर पंजीकरण एवं पेन (PAN)
7. व्यापार कर...
पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण–पत्र...

8. वार्षिक टर्न ओवर एवं विगत वर्षो में किये गये कार्यो का विवरण तथा लागत..........................
....
....

9. धरोहर धनराशि का विवरण
(अ) राष्ट्रीकृत बैंक का नाम...
(ब) एफ0डी0आर0 संख्या..
(स) धनराशि...

10. शर्तो के अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जाए।

11. संलग्न मेन्यू के अनुसार दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर अंकित की जाय
....

संलग्न– 1– नियम एवं शर्ते
2– मेन्यू

निविदादाता फर्म की मुहर एवं हस्ताक्षर

मेस संचालन कार्य हेतु नियम एवं शर्ते

प्रतिबन्ध–

निविदा में दी गई शर्तो के अनुसार उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी तथा निविदादाता फर्म के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा। निविदा/अनुबन्ध में निर्धारित शर्तो का अनुपालन न होने की दशा में अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा ओर धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में रखे जाने हेतु संस्तुति की जायेगी।

शर्ते–

1. निविदादाता/फर्म का अपना पेन (PAN) व आयकर प्रमाण–पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाए।
2. निविदादाता/फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण होना चाहिए।
3. निविदादाता के पास रेस्टोरेन्ट व्यवसाय करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्गत खाद्य एवं पेय लाईसेंस वैध होना चाहिए।
4. अकादमी परिसर धुम्रपान, मादक पदार्थ रहित क्षेत्र है। निविदादाता/ फर्म द्वारा नियुक्त व्यक्ति परिसर में किसी भी प्रकार के धुम्रपान, मादक पदार्थो का प्रयोग नहीं करेगा।
5. निविदादाता/फर्म को रेस्टोरेन्ट व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव हो तथा 03 वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम ₹ 15 लाख हो। निविदादाता/फर्म का स्वंय का रेस्टोरेन्ट प्रतिष्ठान हो।
6. निविदादाता/फर्म को अनुभवी कर्मी– एक मैनेजर, एक कुक, एक मसालची तथा दो वेटर नियमित रखना अनिवार्य है। कुक को व्यवसायिक तौर पर खाना बनाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
7. मेस संचालन के लिए क्राकरी/वर्तनों की व्यवस्था निविदादाता/फर्म द्वारा की जायेगी।
8. मेस की भोजन व्यवस्था स्वच्छतापूर्ण एवं गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए।
9. निविदादाता को खाद्‌य सामग्री एवं खाना बनाने के लिए बर्तन, ईधन की व्यवस्था स्वंय करनी होगी। खाद्‌य सामग्री में ब्राण्ड वाली सामग्री का प्रयोग करना होगा जिसका निरीक्षण मेस कमेटी अथवा अकादमी द्वारा नामित सदस्यों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।
10. मेस की पूरी सफाई व्यवस्था, जूठन उठाने इत्यादि का उत्तरदायित्व फर्मदाता का होगा।
11. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय से बाहर रहने पर उनके नास्ता, लंच, डिनर में तद्‌नुसार कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त अकादमी में समय–समय पर होने वाले सेमीनार, मीटिंग, में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों, अतिथि वक्ताओं, माननीय अतिथियों के लिए भी खाने एवं चाय की व्यवस्था के लिए निविदादाता को तत्पर रहना होगा।
12. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में ₹ 50,000/–(पचास हजार) मात्र, किसी राष्ट्रीकृत बैंक का एफ0डी0आर0 निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के नाम बंधक हो संलग्न किया जाए। धरोहर धनराशि की वैधता निविदा के वैध अवधि के पश्चात कम से कम 45 दिन होगी।
13. निविदादाता फर्म श्रम कानूनों से आवृत्त होगी।
14. निविदादाता फर्म के कार्मिकों के नाम पते पहचान हेतु अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगें।
15. जिस फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे कर्मियों का पुलिस सत्यापन अथवा दो सभ्रांत व्यक्तियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगें।
16. नियोजित श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
17. फर्म द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी तथा श्रमिक मांनसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हों।
18. फर्म की बाध्यता होगी कि वह अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफता श्रमिक को कार्य पर नहीं लगायेगा।
19. कार्य निष्पादन असंतोषजनक होने पर या तैनात कर्मियों की लापरवाही अथवा विफलता के कारण संस्थान को किसी प्रकार की हानि होने पर जमानत राशि जब्त अथवा विनियोजित कर ली जायेगी।
20. निविदा से स्वीकृत दरें सामान्यतः वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए प्रभावी होंगी।
21. फर्मदाता को संलग्न सूची में अंकित ब्राण्ड के अनुसार खाद्‌य सामग्री को उपयोग में लाना अनिवार्य होगा।
22. किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार (बिना कारण बताये) अकादमी द्वारा गठित समिति का होगा।

23. सफल निविदादाता (मेस संचालन) से कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में ₹ 75,000/-(पिच्छत्तर हजार) मात्र का एफ0डी0आर0 जो कि निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में बना हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्मित हो बंधक रखी जायेगी। धरोहर धनराशि की वैधता निविदा के वैध अवधि के पश्चात कम से कम 60 दिन तक की होगी। कार्यपूर्ति प्रतिभूति जमा हाने के उपरांत निविदा प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। निविदा की स्वीकृत दरें सामान्यतः वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए प्रभावी होंगी।

24. प्रशिक्षण कार्यक्रमों सेमिनार, कार्यशालाओं, कान्फ्रेसों के दौरान मैन्यु निम्नवत होगाः–

मेन्यू (Menu)

	नास्ता	**लंच**	**डिनर**
सोमवार	पराठा (पनीर/आलू) दही, अंडे, (प्रति अधिकारी/प्रतिभागी कम से कम 02) दूध–200 ग्रम, अचार, चाय, फ्रुट चाट	छोले चपाती, पुलाव, दो सब्जियां (सीजनल वेज व एक अन्य वेज), दही, सलाद, अचार, पापड़, दूध की सेवई	पनीर (शाही/मटर), चिकन (बटर/कढ़ाई/काली मिर्च) चपाती, चावल, मिक्स वेज, दही, सलाद, अचार, कस्टर्ड, टमाटर सूप
मंगलवार	ब्रेड पकोड़ा, दही, दूध– 200 ग्रम, चाय, अंडे, (प्रति अधिकारी/प्रतिभागी कम से कम 02) अचार, सौस, फल–02.	राजमा चपाती, चावल, दो सब्जियां (मिक्स वेज व एक अन्य वेज), दही, सलाद, अचार, पापड़, गुलाब जामुन,	दाल मलका/चना चपाती, चावल (जीरा फ्राई) , सीजनल वेज, दही, सलाद, अचार, आईसक्रीम (गर्मियों में) खीर (जाड़ो में) कार्न सूप
बुधवार	टोस्ट, आमलेट, दही, दूध–200ग्राम, अंडे, (प्रति अधिकारी/प्रतिभागी कम से कम 02) चाय, अचार, सौस, फ्रुट चाट	दाल मखानी चपाती, चावल, दो सब्जियां (मशरूम व एक अन्य वेज), दही, सलाद, अचार, पापड़ कस्टर्ड	छोले/कड़ी चपाती, चावल, मिक्स वेज, दही, सलाद, अचार, दूध की सेवई, ताजा सब्जियों का सूप
वृहस्पतिवार	छोले भटूरे, दही, अंडे, (प्रति अधिकारी/प्रतिभागी कम से कम 02), दूध– 200ग्राम, चाय, अचार, सौस, फल–02.	दाल मिक्स चपाती, चावल (जीरा फ्राई), दो सब्जियां (सीजनल वेज व एक अन्य वेज), दही, सलाद, अचार, पापड़, खीर,	राजमा चपाती, चावल, मिक्स वेज, दही, सलाद, अचार, गुलाब जामुन, मशरूम सूप
शुक्रवार	पूरी भाजी, दही, अंडे (प्रति अधिकारी/प्रतिभागी कम से कम 02), दूध– 200ग्राम, चाय, अचार, सौस, फ्रुट चाट	पनीर (शाही/मटर), मटन चपाती, चावल, दो सब्जियां (मिक्स वेज व एक अन्य वेज), दही, सलाद, अचार, पापड़, आईसक्रीम (गर्मियों में) खीर (जाड़ो में)	दाल उड़द/अरहर चपाती, चावल, सीजनल वेज, दही, सलाद, अचार, रसमलाई, टमाटर सूप
शनिवार	दलिया, बटर टोस्ट, दही, आमलेट, अंडे, (प्रति अधिकारी/प्रतिभागी कम से कम 02)दूध–200ग्राम, चाय, अचार, सौस, फल–02.	कढ़ी, दाल मलका/चना चपाती, चावल, दो सब्जियां (सीजनल वेज व एक अन्य वेज), दही, सलाद, अचार, पापड़, गुलाब जामुन	दाल मूँग/काली दाल चपाती, चावल (जीरा फ्राई), मिक्स वेज, दही, सलाद, अचार, खीर, कार्न सूप
रविवार	हलवा, दही जलेबी, दूध–200ग्राम, अंडे, (प्रति अधिकारी/प्रतिभागी कम से कम 02) चाय, अचार, सौस, फल–02	दाल मिक्स, चपाती, चावल, दो सब्जियां (मिक्स वेज व एक अन्य वेज), दही, सलाद, अचार, पापड़, रसमलाई	अण्डा करी, दाल मखानी चपाती, चावल, सीजनल वेज, दही, सलाद, अचार, आईसक्रीम (गर्मियों में) खीर (जाड़ो में), ताजा सब्जियों का सूप

(सीजनल वेज – शिमला मिर्च, कटहल, आलू ,फूल गोबी, पत्ता गोबी, बैंगन, लौकी, मटर, भिण्डी , हरी शब्जी, बीन, मशरूम, गाजर,

पालक इत्यादि)

(1) मेस कमेटी अथवा अकादमी द्वारा समय–समय पर मेन्यू में परिर्वतन किया जा सकता है।

(2) आईसक्रीम अप्रेल से सितम्बर तथा खीर नवम्बर से मार्च उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) अतिरिक्त – (1) बेड टी,
(2) क्लास रूम की चाय दिन में दो बार साथ में नमकीन एवं बिस्कुट (प्रतिदिन अलग–अलग ब्राण्ड) हों।
(3) इविनिंग टी साथ में स्नेक्स हों।

(4) दरें निम्न प्रारूप के अनुसार टी, नमकीन, बिस्कुट, स्नेक्स इत्यादि को सम्मलित करते हुए प्रेषित करें:–

1	2	3	4 (1+2+3)	5
नास्ता (प्रति व्यक्ति)₹	**लंच (प्रति व्यक्ति)₹**	**डिनर (प्रति व्यक्ति) ₹**	**कुल धनराशि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ₹**	**वैट इत्यादि का विवरण (वैट सहित कुल धनराशि) ₹**

<u>List of indicative brands of items to be used in catering</u>

Sl.No	Items	Brand
01	Milk	Reliance/Mother Dairy/ Aanchal/Amul (Packed)
02	Bread	Strictly Britannia/Harvest
03	Butter	Britannia/Mother Dairy/ Amul/Aanchal (Packed)
04	Jam	Kissan/Safal/Pantjali only
05	Tomato Sauce	Kissan/Maggi
06	Chilli Sauce	Kissan/Maggi
07	Tea	Brook Bond/ Taj Mahal/Tata
08	Coffee	Nescafe/Nestle/Bru/Tata
09	Refined Vegitable Oil	Safola/Vital/Sunflower/Dhara/Sundrop
10	Ghee	Amul/Nestle
11	Mustard Oil	Postman/Bawarchi
12	Rice	Basmati
13	Sugar	Good quality
14	Atta/Maida/Besan	Agmark /Shakibhog Brand
15	Pulses	Good quality

16	Spices	Agmark/Goldi/M.D.H Brand
17	Fruits/Vegetables	Seasonal fresh quality
18	Salad	Seasonal items including of green fresh vegetables
19	Ice cream	Mother Dairy/Kwality/Amul/Vadilal

नोट: (i) Vanaspti Ghee must not be used (वनस्पति घी कदापी उपयोग में नहीं लिया जायेगा)

(ii) उक्त ब्राण्ड से निर्मित सामग्री उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ब्राण्ड परिवर्तन हेतु मेस कमेटी अथवा अकादमी के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह भी सुनिश्चित कर लें कि खाने वाली सभी सामग्री ब्राण्डेड हों।